न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–341 / 2026
(सुपौल नदी थाना कांड सं0–13 / 2026)

	1. उपेन्द्र यादव, 2. हीरा लाल यादव उर्फ हीरा प्रसाद यादव 3. राज कुमार रमण तीनो पिता स्व0 नथुनी यादव 4. सरस्वती देवी, पति राज कुमार यादव उर्फ राज कुमार रमण 5. सतीश कुमार, पिता हीरालाल यादव उर्फ हीरा प्रसाद यादव 6. पूजा कुमारी, पिता राज कुमार रमण सभी साकिन मोरकियाही, थाना मरौना, जिला सुपौल .....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
17 / 04 / 26	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) उपेन्द्र यादव (2) हीरा लाल यादव उर्फ हीरा प्रसाद यादव (3) राज कुमार रमण (4) सरस्वती देवी (5) सतीश कुमार (6) पूजा कुमारी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो सुपौल नदी थाना कांड सं0–13 / 2026 अन्तर्गत धारा– 85 बी0एन0एस0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम नारायण यादव एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवे. दकगण बिल्कुल निर्दोष है। अभियुक्त आवेदकगण प्रस्तुत वाद के सूचिका के ससुराल पक्ष के लोग है। अभियुक्त आवेदकगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) बी0एन0एस0 अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। प्रस्तुत वाद सूचिका अंशु कुमारी के टंकित आवेदन के आधार पर दर्ज सुपौल नदी थाना कांड सं0–13 / 2026, धारा 85 बी0एन0एस0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण है। सूचिका ने अपने फर्द बयान में अभिकथन किया है, "कि दिनांक 12 / 07 / 2024 को उसके माता तिपा ने अपनी औकात के अनुसार दान, उपहार देकर हिन्दु रीति रिवाज से कराई थी, शादी के बाद वे अपने ससुराल गई और पति पत्नी के रूप में लगभग एक वर्ष तक ठीक ठाक रही। उसके बाद उसके पति, सास, ससुर, ननद, एवं अन्य सदस्य मिलकर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज तथा मानसिक एवं शारीरिक पताड़ना देने लगे तथा एक बार इनलोगों ने मिट्टी तेल छिडक कर उसे जान मारने का भी प्रयास किया तथा उसे अपने पति से 25 लाख रूपये लेकर आने को कहा, जिसे उसके पति राकेश कुमार सुपौल में दुकान खोल सके, जब उसके पिता ने रूपया देने से माना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसका सारा समान छीन लिया गया और जब वह 4–5 महीने की गर्भवती थी, तो उसे पति, सास और ननद ने उसे कुछ दबाईयॉ लाकर जबरदस्ती खिलाई, जिसे उसका गर्भपात हो गया। सूचिका की सास ने उसे मारपीट कर उसे भगा दिया और कही कि वे अपने बेटा का दूसरी शादी कराकर रूपये	Contd

<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–341 / 2026
(सुपौल नदी थाना कांड सं0–13 / 2026)

<u>लगातार.....</u>
17 / 04 / 26

वसूल करवाउॅगी। राकेश कुमार ने बिना उसे तलाक दिये दिनांक 28 / 01 / 2026 को गायत्री कुमारी से दूसरी शादी कर लिया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियुक्त आवेदकगण सूचिका की सास, ससुर एवं उसके ससुराल पक्ष के लोग है तथा इनके विरूद्व सूचिका के साथ मारपीट करने एवं दहेज के रूप में 25 लाख रूपया मॉगने का आरोप है। सूचिका न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह की बात स्वीकारती है तथा कहती है, कि उसे उसके ससुराल वालों से राजीनामा हो गया है और वह अपने ससुराल में खुशीपूर्वक रह रही है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व जिन धाराओं का आरोप है, उन धाराओं में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश **"सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम् सी0बी0आई"** एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश **"नौशाद अंसारी बनाम् बिहार सरकार"** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त आवेदकगण अग्रिम जमानत पाने का हकदार है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुलहनामा के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) उपेन्द्र यादव (2) हीरा लाल यादव उर्फ हीरा प्रसाद यादव (3) राज कुमार रमण (4) सरस्वती देवी (5) सतीश कुमार (6) पूजा कुमारी** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदक की ओर से मो0 10,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 438(2) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें।

लेखापित
–हस्ता0–
(अनंत सिंह)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल